भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4640

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026/29 फाल्गुन, 1948 (शक) को दिया जाना है।

पोषक-तत्व आधारित राजसहायता संबंधी संशोधन

4640. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री राजपालसिंह महेंद्रसिंह जादव:
श्री आशीष दुबे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), नाइट्रोजन-फास्फोरस-पोटेशियम (एनपीके) उर्वरकों और म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की राज्य-वार उपलब्धता और खुदरा मूल्य के रुझान क्या हैं;
(ख) वर्ष 2025-26 के रबी मौसम के दौरान उक्त उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति और खुदरा मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ग) संशोधित पोषक-तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) ढांचे के अंतर्गत 10:26:26 और 12:32:16 जैसी अतिरिक्त उर्वरक श्रेणियों को किस सीमा तक शामिल किया गया है;
(घ) क्या सरकार ने संतुलित पोषक तत्वों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने और यूरिया के अत्यधिक उपयोग को कम करने के लिए संशोधित एनबीएस दरों के संबंध में कोई आकलन किया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): देश में सभी उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

(ii) प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्यवार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली नामक एक ऑनलाइन वेब (आईएफएमएस)-आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्तियों को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इस संबंध में, चल रहे रबी 2025-26 मौसम के दौरान राज्यों में पीएंडके उर्वरकों अर्थात डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है। चल रहे रबी 2025-26 मौसम के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में राज्यवार जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अलावा, सरकार ने 01.04.2010 से फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम लागू की है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरकों की एमआरपी नियंत्रणमुक्त है और कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार वहनीय स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान इनकी पीओएस बिक्री पर उत्पादकों/आयातकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 2025-26 (फरवरी 2026 तक) में डीएपी की औसत एमआरपी (प्रति 50 किलो बैग में) 1350 रूपए, एनपीके 10-26-26 की 1814.82 रूपए, एनपीके 12-32-16 की 1711.87 रूपए, एनपीके 20-20-0-13 की 1414.57 रूपए और एमओपी की 1710.54 रूपए है।

डीएपी, जो एक प्रमुख उर्वरक है,की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, रबी मौसम 2025-26 के लिए एनबीएस सब्सिडी के अलावा, विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं, को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों और आयातित टीएसपी के लिए बढ़ा दिया गया है।

(ग) से (ड.) पीएंडके उर्वरक ग्रेड जैसे 10:26:26 और 12:32:16 पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत आते हैं और इन ग्रेडों पर सब्सिडी पोषक तत्वों नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी) और पोटाश (के) में उनके पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर अधिसूचित एनबीएस दरों के अनुसार प्रदान की जाती है। एनबीएस ढांचा विभिन्न पी एंड के उर्वरक ग्रेडों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे किसानों को फसल और मिट्टी की आवश्यकताओं के आधार पर संतुलित अनुपात में पोषक तत्वों का उपयोग करने के विकल्प मिलते हैं।

यह अनुलग्नक दिनांक **20.03.2026** के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4640 के भाग (क) और (ख) के उत्तर से संबंधित है।

रबी **2025-26** (**05/03/26** तक) के लिए राज्यवार आवश्यकता, प्राप्तियां, उपलब्धता और बिक्री की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

		डीएपी				एमओपी				एनपीकेएस			
S.No	State	रबी 2025-26 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक यथाआनुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 05/03/26 तक संचयी डीबीटी बिक्री	रबी 2025-26 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक यथाआनुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 05/03/26 तक संचयी डीबीटी बिक्री	रबी 2025-26 के लिए मौसमी आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक यथाआनुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 05/03/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 05/03/26 तक संचयी डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	2.20	2.13	3.62	2.78	1.00	0.88	1.29	0.84	9.50	8.92	11.90	8.51
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	0.28	0.25	0.65	0.41	0.36	0.33	0.44	0.20	0.35	0.32	0.32	0.19
5	बिहार	3.90	3.77	5.82	4.43	1.50	1.46	1.73	1.34	3.50	3.44	5.44	3.43
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	1.00	0.98	1.96	0.98	0.50	0.46	0.60	0.11	0.60	0.56	1.80	0.31
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
11	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	2.90	2.69	3.28	2.63	0.64	0.60	0.73	0.51	4.50	4.25	5.32	3.50
13	हरियाणा	2.70	2.66	3.32	2.51	0.30	0.26	0.34	0.13	1.20	1.12	0.52	0.24
14	हिमाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.03	0.02	0.04	0.04	0.02	0.01	0.26	0.26	0.26	0.15
15	जम्मू और कश्मीर	0.24	0.20	0.37	0.18	0.13	0.09	0.17	0.04	0.02	0.01	0.02	0.00
16	झारखंड	0.25	0.25	0.59	0.43	0.02	0.02	0.04	0.02	0.30	0.27	0.44	0.22
17	कर्नाटक	1.98	1.76	3.69	2.01	0.97	0.85	1.55	0.81	7.20	6.27	12.30	6.52
18	केरल	0.08	0.07	0.17	0.09	0.50	0.44	0.53	0.35	0.61	0.55	0.83	0.56
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	7.50	7.29	7.41	5.78	1.00	0.92	1.02	0.55	11.50	11.08	8.07	4.96
21	महाराष्ट्र	2.60	2.34	4.41	2.32	1.50	1.32	1.60	0.82	12.00	10.89	20.86	9.56
22	मणिपुर	0.01	0.01	0.02	0.01	0.05	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
26	ओडिशा	0.75	0.67	1.33	0.62	0.25	0.22	0.48	0.15	0.90	0.77	1.53	0.60
27	पुदुचेरी	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.05	0.04	0.06	0.04
28	पंजाब	4.50	4.42	5.68	4.01	0.60	0.52	0.67	0.27	1.50	1.46	0.99	0.60
29	राजस्थान	3.33	3.29	4.46	3.64	0.10	0.09	0.15	0.09	1.50	1.47	1.77	1.14
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	1.55	1.43	2.06	1.44	1.80	1.64	1.33	0.96	5.14	4.69	6.34	4.32
32	तेलंगाना	1.45	1.37	2.45	1.95	0.65	0.57	0.90	0.46	7.00	6.16	8.50	5.46
33	त्रिपुरा	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	0.15	0.12	0.41	0.23	0.05	0.05	0.06	0.02	0.20	0.18	0.12	0.08
35	उत्तर प्रदेश	14.00	13.79	17.07	11.66	1.50	1.37	2.12	1.19	7.50	7.29	10.67	6.11
36	पश्चिम बंगाल	1.99	1.83	3.01	2.10	2.20	2.01	2.34	1.30	7.00	6.42	10.26	6.36
अखिल भारत		**53.43**	**51.38**	**71.89**	**50.28**	**15.69**	**14.18**	**18.17**	**10.18**	**82.38**	**76.48**	**108.39**	**62.90**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता
2. सहज उपलब्धता का द्वितीय संकेतक: उपलब्धता > बिक्री

dd